

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(3)नविवि/II/2021पार्ट

जयपुर, दिनांक: 12 OCT 2021

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए श्री दीपक अग्रवाल, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास न्यास, जैसलमेर का स्थानान्तरण/पदस्थापन जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
6. श्री दीपक अग्रवाल, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-तृतीय